# समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. गुलाबसिंह तनय विश्राम सिंह यादव
2. जमुना प्रसाद तनय विश्राम सिंह यादव
3. जागेश्वर तनय रामशरन ब्राम्हण
4. मुल्लु फौत वारसान वेवा जड़ाबाई
   1. राकेश सिंह तनय स्व. श्री मुल्लु
   2. दीपेन्द्र सिंह तनय स्व. श्री मुल्लु
   3. दीपा सिंह पत्नि महताप सिंह
      निवासी ग्राम वरधुआ तह. देवेन्द्र नगर जिला पन्ना म.प्र.
   4. रीता पत्नि सुरेश नि. ग्राम गनेशपुर तह. व जिला छतरपुर म.प्र.

.....आवेदकगण

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

## निगरानी अंतर्गत् धारा-50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक. 73/निगरानी वर्ष 2007-2008 में पारित आदेश दिनांक 16/09/2010 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैः-

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदकगणों को विधिवत् दखल रहित अधिनियम के तहत व्यावस्थापन पट्टा जारी किया गया था तभी से वे काबिज चले आ रहे है विचारण न्यायालय तहसीलदार देवेन्द्रनगर द्वारा विधि-विरूद्ध रूप से स्वमेव निगरानी की कार्यावाही करते हुए आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पट्टा निरस्त किये जाने का विवादित आदेश पारित किया गया जिसकी निगरानी धारा - 5 पर ही अस्वीकार कर दी गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है ।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ न्यायालय माननीय अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण के इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर किये बिना कि स्वमेव निगरानी की शक्तियां श्रीमान कलेक्टर को विद्यमान

(41)

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश--ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4196–एक/14 जिला छतरपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 13.1.2015 | आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 73/निगानी/वर्ष 2007–08 में पारित आदेश दिनांक 16–9–2010 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।<br>2– अपर कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय में यह निगरानी 4 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । इतनी अवधि तक निचले न्यायालय में अपने प्रकरण की जानकारी न लेना स्वीकार योग्य नहीं है । इसका कोई समाधानकारक उत्तर भी आवेदक द्वारा अपने तर्को/आवेदन में नहीं दिया गया है । अतः प्रथम दृष्टया यह निगरानी अवधि बाह्य होने से इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है ।<br><br>प्रशासकीय सदस्य | |